संख्या- 08 /2022 /570/क0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/2021 टीसी

प्रेषक

सुभाष राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त,**2022**

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता(एस.सी.ए.टू एस.सी.एस.पी.) योजनान्तर्गत भारत सरकार से 31-03-2022 तक प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त करते हुये एस.एन.ए. खाते में जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 पत्र संख्या ए.जी.वाई.-**19014/3/2021-**पीएमएजीवाई दिनांक 22-07-2022 एवं निदेशक, वित्त व्यय नियंत्रण, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1/(33)/पीएफएमएस/2022 दिनांक **07-07-2022** के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति सब प्लान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता(एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी.) योजनान्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धनरशि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की रू0 3485.97 लाख (चौंतीस करोड़ पच्चासी लाख सतानबे हजार मात्र) की धनराशि को निम्निलिखित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय किये जाने हेतु एस0एन0ए0 खातें में जमा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	योजना का नाम	लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये)
1	2	3	4
1-	टंकण/आशुलिपि, हथकरघा एवं	अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	1000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	बढ़ईगीरी प्रशिक्षण	योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)"	
2	उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण- 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0112-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण(के.100/रा.0-के.)-42-अन्य व्यय"	50.00
3	उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित टेलरिंग शाप योजना	अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण- 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0122-उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित टेलरिंग शाप योजना (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	1903.27
4	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास	अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	532.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य	
		कुल योग-	**3485.97**

<u>नियम व शर्तें:</u>

(1) प्रश्नगत धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर एस.एन.ए. (सिंगल नोडल एजेन्सी) खाते में जमा की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पृथक-पृथक योजनाओं में शासन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून,2022 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।

(6) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित परियोजना अधिकारी की होगी।

(8) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्र0वि0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्र0वि0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(12) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(16) प्रश्नागत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(18) प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार से विगत वर्षो में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध होने के संबंध में स्वतर से सुनिश्चित किये जाने के उपरांत ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक -"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें के अन्तर्गत संबंधित योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-135-दस/2022-23 दिनांक 04-08-2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुभाष राम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-**08** /2022/570(1)/क.नि.प्र./26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4- प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0 शासन।

7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुभाष राम
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।